[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 30/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई)

नई दिल्ली, 12.08.2021

का.आ. (ई.) अपील सं. सी/243/2006 से उत्पन्न माननीय सीमाशुल्क उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश सं. ए/87967/17/सीबी दिनांक 12.06.2017 के अनुपालन में एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुछेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना स. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), सा.का.नि. 453 (अ), दिनांक 04 जून 2015 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित तथा यथा अधिसूचना स. 133/2015-सीमा शुल्क (गै. टै.), सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ उपरोक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपरोक्त तालिका के स्तंभ (4) मे उल्लेखित अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), 2सरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बॅलार्ड एस्टेट, मुंबई को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	**नोटिसियों का नाम एवं पता**	**कारण बताओ नोटिस सं. एवं दिनांक**	**स्तंभ सं. (3) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस के अनुसार भूतपूर्व न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	भूमिष शाह, 1709/57, गंगानगर को-ओपरेटिव सोसाइटी, पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-400075 एवं 6 अन्य	DRI/BZU/D/21/2001 दिनांक 13.03.2002.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्याय निर्णयन), 2सरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बॅलार्ड एस्टेट, मुंबई

[फा.नं.**DRI/HQ-CI/50D/CAA-24/2016-CI]**

(भारती शर्मा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्‌द्यतन हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), 2सरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बॅलार्ड एस्टेट, मुंबई।
2. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें